विश्वभारती, शांतिनिकेतन
राजभाषा प्रकोष्ठ

परिपत्र/ Circular

विषय : राजभाषा प्रयोग के संबंध में।
Sub: Use of Official Language-reg.

उपरोक्त विषय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त दिनांक 12.06.2018 का पत्रांक मि0सं0 16-1/2008/(राजभाषा) सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ परिचालित किया जाता है।

Letter No. मि0सं0 16-1/2008/(राजभाषा) dated 12.06.2018 received from University Grants Commission is circulated for information and compliance.

02/07/18
हिंदी अधिकारी
विश्वभारती

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली – 110 002
Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002
Phone : 011-23406308, 011-23406309

सत्यमेव जयते

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

RECEIVED
Date : 29-6-18

मि0सं0 16–1/2008/(राजभाषा)

Office of the Registrar (Chamber)
Visva-Bharati
Docket No. UGC-1205 Date 30-6-18

जून, 2018

12 JUN 2018

कुलसचिव,
विश्व भारती, शांतिनिकेतन,
पश्चिम बंगाल–731 235

विश्वभारती, शांतिनिकेतन
Visva-Bharati, Santiniketan
राजभाषा प्रकोष्ठ / Official Language Cell
डॉकेट सं. / Docket No. : 368
दिनांक / Date 30.06.2018

कार्यालय ज्ञापन

विषयः– मानव संसाधन विकास मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक के संबंध में।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक **1 मई, 2018** के कार्यालय ज्ञापन **सं013035–13/2016–रा.भा.ए.** के अन्तर्गत मानव संसाधन विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक **14 मई, 2018** को नई दिल्ली में संपन्न बैठक में सदस्य श्री हरवीर सिंह शास्त्री जी के सुझाव प्रेषित किए गए थे, जो कि निम्नवत् है:

"कार्यालयों में राजभाषा का प्रयोग मंत्री–अधिकारियों और कर्मचारी सभी गर्व के साथ करें। पत्रोत्तर राजभाषा में अवश्य होना चाहिए। राजभाषा के व्यावहारिक शब्दों को बोलने में गर्व अनुभव करें, जैसे–नमस्ते, नमस्कार श्रीमान जी, महोदय, मान्यवर, कृपया धन्यवाद आदि। इनके स्थान पर यदि हम विदेशी शब्दों का प्रयोग करते रहे तो राजभाषा का गौरव कैसे बढ़ेगा?

परिवार में भी राजभाषा अथवा राष्ट्रीय भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करें। जैसे–माता, पिता, बहिन, चाचा, चाची आदि। इसके विपरीत अनेक परिवारों में विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग अहितकर है।

सामाजिक जीवन में राजभाषा का प्रयोग होना चाहिए। हमें परस्पर संवाद राजभाषा में करना चाहिए। पत्र व्यवहार हिन्दी में करना चाहिए। सभा में भाषण भी राजभाषा में करना चाहिए।"

मेघा कौशिक
(मेघा कौशिक)
शिक्षा अधिकारी

Shri Gopal Kumar – Hindi Officer

29/6/18

02/07/18